झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका 3673/ 2022

राजीव पारीक, उम्र लगभग 38 वर्ष, पुत्र सुभाष पारीक, निवासी ई/ 154, ईस्ट लेआउट, बारतल्ला, डाकघर और थाना- सोनारी

जिला- पूर्वी सिंहभूम ..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... विपरीत पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए : श्री चंद्रजीत मुखर्जी, सलाहकार।

राज्य के लिए : श्री शिव शंकर कुमार, अपर. पीपी

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्रीमान जस्टिस अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका सीआरपीसी की धारा **482** के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए दायर की गई है। पारित आदेश दिनांक **22.12.2021** को निरस्त करने के संबंध की प्रार्थना सहित, जी.आर. संख्या **342** विद्वान एसडीजेएम, घाटशिला द्वारा **2017 (**एस) के तहत दायर की गई है जहां, एसडीजेएम, घाटशिला ने याचिकाकर्ता की उसके वाहन की रिहाई की प्रार्थना को खारिज कर दिया है; चूंकि उक्त मामले को लेकर जब्ती की कार्रवाई चल रही थी.

3. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जब्त किए गए वाहन को **2017** से खुले आसमान के नीचे रखा गया है, उन्हें जब्ती की कार्यवाही की वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि आदेश जो विद्वान एसडीजेएम, घाटशिला द्वारा **2017 (**एस) जी.आर. संख्या **342** को दिनांक **22.12.2021** को इस संबंध में पारित किया गया है, रद्द कर अलग रखा जाए।

4. दूसरी ओर विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक जी.आर. संख्या **342** के संबंध में पारित आदेश दिनांक **22.12.2021** को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करता है। विद्वान एसडीजेएम, घाटशिला द्वारा **2017 (**एस) के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि वाहन की जब्ती के लिए एक वैध कार्यवाही निर्विवाद रूप से शुरू की गई है और उक्त कार्यवाही की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, इस अदालत में सीआरपीसी की धारा **482** के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, जब्त किए गए वाहन को जारी करने का कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिना किसी योग्यता के इस आपराधिक विविध याचिका को खारिज कर दिया जाए।

5. बार में दी गई दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जब्त किए गए वाहन के संबंध में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध जब्ती की कार्यवाही की गई थी। तत्काल आपराधिक मामले के संबंध में रिकॉर्ड में इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पहले ही जब्त कर लिया गया है या नहीं व क्या याचिकाकर्ता ने वाहन को अपने पक्ष में जारी करने की मांग की थी।

6. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय विद्वान एसडीजेएम, घाटशिला द्वारा जी.आर. **2017 (**एस) की संख्या 342 के संबंध में पारित दिनांक 22.12.2021 के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता है, जिसके तहत विद्वान एसडीजेएम, घाटशिला ने वाहन की रिहाई के लिए

प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

7. तदनुसार**,** यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

(**अनिल कुमार चौधरी**, **न्यायाधीश।)**

झारखंड उच्च न्यायालय,
रांची
दिनांक, 5 फरवरी, 2024
स्मिता/ एएफआर